



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 10@2015@परीक्षा@दिनांक 04/12/2015

प्रकाशन की तिथि 09/12/2015

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 23/12/2015 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 21/01/2016 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

- विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के विन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/कैश डिपोजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 23@12@2015 को मध्यान्ह 12:00 बजे से 21@01@2016 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 24/01/2016 अपरान्ह 12:00 बजे से 30/01/2016 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
- श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

1½ भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के LokLF; , oa i f j okj dY; k. k folkkx के अंतर्गत ^eukj kx fo'kSkK , oa nlr 'kY; fpfdRI d** के निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है—

सं. क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की oxblkj संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से efgykvlk के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से fu% kDr tukl के लिए आरक्षित पद	; kx	orueku ₹ ₹ %
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	मनोरोग विशेषज्ञ	09	02	06	03	&	02	01		01 (OA, OL)	20	15600-39100+6600
02	दन्त शल्य चिकित्सक LokLF; , oa i f j okj dY; k. k folkkx	30	09	23	10	09	03	07	03	04 (OA, OL)	72	15600-39100+5400
										dY ; kx %	92	

Abbreviations used: - OA- One Arm, OL- One Leg (for non surgical jobs)

egRoi wkl Vhi :-

1- i nk dhl l f; k ifj orlk; gA

2- छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे।

3- यह विज्ञापन संबंधित विभाग के भर्ती नियम के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।

4- उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

5- fjdR; k e vkj {k. k %&

6- उपर्युक्त तालिका के कालम नं. 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं।

7- Nkh x<+jkt; ds mi ; Dr Jsk ds vfrfj Dr vll; I hkh vNRRhl x<+ jkt; ds vukjfkr , oa NRrl x<+ jkt; ds

vfrfj Dr vll; jkt; ds vll; Fkh ds vkonu vukjfkr Jsk ds vllrxr vkl, &A

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी i f j f' kV&, d में उल्लेखित है।

7- vkllykbu vkonu dj us ds i vll vH; Fkh fu; ek dk voykdu dj lo; al fuf' pr dj y fd mlga i jh{k k eal fefyf grus dh i k rk gS vfkok ughA ; fn dkbl vH; Fkh i jh{k ds fd l h Hk p. k e vfkok i jh{k Qy ?kfk kr grus ds ckn Hk vugl Vneligible% i k; k tk rk gS vfkok ml ds }jk k nh xbz dkbl Hk tkudkj h xyr i kbz tk rh gS rk sml dh vH; ffkirk@p; u i f. kke fuj Lr fd; k tk l dxka

1/2% i n dk fooj. k vko'; d ' kfk. kd vgfk , oa vuuko% eukj kx fo'kSkK %&

1/4% 1/4% ktkif=r&i Fk e Jsk kh orueku%&15600&39100\$6600

एम.डी. (भनश्चिकित्सा) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि तथा एम.डी. उत्तीर्ण होने के पश्चात् 3 वर्ष का अनुभव या डी.पी.एम. के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डी.पी.एम. उत्तीर्ण करने के पश्चात् 5 वर्ष का अनुभव।

1/4% उपाधि भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी स्टेट मेडिकल कार्डिनल में पंजीबद्ध होना चाहिए।

- 1/1** nUr 'kY; fpfdRI d%&
1/2 kktif=r&f}rh; Js kh osueku%&15600&39100\$5400
बी.डी.एस. उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कोई अन्य समतुल्य उपाधि।
- 1/3** उपाधि भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद अथवा ४० दन्त चिकित्सा परिषद से पंजीबद्ध होना चाहिए।
- 1/4** i fjo{k vof/k % चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति ०२ o"kl की परिवीक्षा पर की जाएगी।
egroi wkl uk%&
- 1/5** vH; Fkh ds i kl mi ; Dr vko'; d 'kfk.kd vgirkvkl i at; u] vu]ko ,oa vU; vgirkvkl dk "i ek.k&i =** vkllykbu vkonu dj us gqfu/kkj r vfre frffk vFok ml ds i vlo i kl r dj fy; k gkuk pkfg, A vkllykbu vkonu dj us dh vfre frffk ds ckn dh frffk dks tkjh dh xbz 'kfk.kd vgirkvkl i at; u ,oa vU; vgirkvkl ds i ek.k&i = ek; ugla gkA
1/6 vkllykbu vkonu ds l kfk dkboz Hkh i ek.k i = l yXu dj us dh vko'; drk ugla gA
1/7 fu/kkj r vk; q I hek%&
★ eukjks fo'kKK ds fy, % अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2015 को २८ वर्ष से कम तथा ४० वर्ष से अधिक न हो,
★ nUr 'kY; fpfdRI d dsfy, % अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2015 को २१ वर्ष से कम तथा ३२ वर्ष से अधिक न हो,
- परन्तु NRrhl x<+ ds Lfkkuh; @ely fuokl h अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा ३२ वर्ष के स्थान पर ३५ o"kl gkxhA mPprj vk; q I hek e NRrhl x<+ 'kkl u] I kek; i t kkl u folkkx }kjk I e; &l e; ij tkjh fd;s x; sfun kks ds rgr fuEukuq kj NW dh i k=rk gkxh%&
- 1/8** यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- 1/9** छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा ३८ वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- 1/10** ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक ७ वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके i fjo{k. kke&Lo: i mPpre vk; q I hek] rhu o"kl I s vf/kd u gkA Li "Vhdfj. k%&**NVuh fd;s x; s I j dkjh I od** से तार्प्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम ४ माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु vkonu nus dh rkjh[k I s vf/kd I s vf/kd rhu o"kl i vlo Lfkku uk e deh fd;s tkus ds dkj. k I okerpr fd;k x; k gkA
1/11 ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी i jUrq bl ds i fjo{k. kke&Lo: i tks vk; q fuds og mPprj vk; q I hek I s rhu o"kl I s vf/kd u gkA
1/12 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम १९९७ के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में १० वर्ष की छूट होगी।
- 1/13** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ १-२/२००२/१/३ दिनांक ०२.०६.२००४ एवं क्रमांक एफ १-२/२००२/१/३ दिनांक १० फरवरी २००६ के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष
- 1/14** शिक्षाकर्मी/पंचायतकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए ६ माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी।
- 1/15** स्वयंसेवी नगर सेनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की mruth dkykof/k rd NW vkb o"kl dh I hek ds v/; k/khu jgrsgq nh tk, xh] fdUrqfdI h Hkh n'kk esmudh vkl; q 38 o"kl I s vf/kd ugla gkuk pkfg, A
1/16 विधावा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिया mPprj vk; q I hek e ०५ o"kl dh NW gkxhA
1/17 आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्यियों के सर्व प्रभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-३ / १० / ८५ / ३ / १ दिनांक २८.०६.१९८५ के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में ०५ वर्ष की छूट दी जाएगी।
- राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रवालित “शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं” को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में ०५ वर्ष की छूट दी जाएगी।
- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ ३-२/२००२/१-३ रायपुर दिनांक ३०.०१.२०१२ के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। ; g NW vf/kdrex ३८ o"kl dh vk; q I hek rd j gkxhA
1/18 छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ २०-४/२०१४/आ.प्र./१-३ नया रायपुर दिनांक २७.०९.२०१४ एवं १७.११.२०१४ के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ०५ वर्ष की छूट दी जाएगी।
- egroi wkl Vh %&**
- 1/19** छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-३-२/२००२/१/३ रायपुर दिनांक १५.०६.२०१० के द्वारा जारी किए गए निर्देश के पैरा (३) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु ३५ वर्ष होगी, परन्तु उक्त परिपत्र के पैरा (५) के अनुसार अन्य विशेष वर्ग जैसे-छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली। Hkh i dkj dh NW ds dks l feefyr djus ds ckn 'kkl dh; I sk e fu; fDr grq vf/kdrex vk; q 45 o"kl I s vf/kd ugla gkxhA vk; q dh x.ukf fnukd & ०१-०१-२०१५ के संदर्भ में की जाएगी।
1/20 Vh: Fkh vkllykbu vkonu dj us ds i gys foKki u e nf' k k vko'; d 'kfk.kd vgirkvkl i at; u] vu]ko ,oa vk; q ds vuq i vi uh vgirk dh tkp dj Lo; al fuf' pr dj y, oa vgirk dh I eLr 'krk ds i jk djus dh fLFkfr I s i wkl; k I r]V gkus ij gh os vkonu&i = HkjA परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा p; u ds fdh h Hkh Lrj ij vh; Fkh ds vugl ik; s tkus ij ml dk vkonu&i = fcuk dkboz l pkf fn; sfuj Lr dj ml dh vh; ffk I ekir dj nh tk, xhA
1/21 I kkkRdkj ds i vlo Nrkostkd dk i Lrj fd; k tkuk%& साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण

तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि—

- (i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

१९½ vugr% छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनुरूप होगी :—

कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वारक्ष्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वारक्ष्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वारक्ष्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वारक्ष्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

२०½ कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहल से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरहित नहीं होगा।

२१½ p; u i fØ; k % विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं VFok उच्च योग्यताओं VFok दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा “केवल” साक्षात्कार द्वारा VFok ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

Vhi % ; fn foKkfir i n g̱q i klr vkonu i =ka dhi I q; k vf/kd gkr% g̱rks fuEukuf kj p; u fd; k tk; xk%&

उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

Vhi % परीक्षा योजना एवं पादयक्रम बाद में प्रकाशित किया जाएगा।

Vhi % ऑनलाइन परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केन्द्र होगा।

Vhi % Vkykbu vkonu g̱q vkonu 'k%&

२१½ छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए रूपये 300@& (रूपये तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपये 400@& (रूपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।

२१½ VH; Fkhl vko'; d k klf.kd vgirk j [kus i j , d l s vf/kd foKkfir i nkag̱q vkonu dj l drk gA vH; Fkhl dks i R; sl i n g̱q fu/kfj r 'k%& dk Hkxrku djuk gksKA

Vhi % Vkykbu i j h{kk ds l cdk es %& (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

२१½ आयोग द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

२१½ अभ्यर्थी आयोग को ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न—पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न—पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर को मय दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन/शिकायत प्रेषित कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 07 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

२१½ ; k=k 0; ; dk Hkxrku %&

२१½ छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापरी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा—पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण—पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

I k{kRdkj ds fy; - साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार dfMdk 13½ में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

२१½ foKflr eM Yyf [kr 'kr@egRoi wkl funk@tkudkj h vlfn का निर्वचन ॥Interpretation॥

इस विज्ञापित में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/-

I fpo

NRrl x<+ ykd I ok vk; kx] jk; i j

i f' k"V&, d

vkllykbu vkonu djus ds | c'k e fun' k , o a vH; tkudkjh

vkllykbu vkonu djusds | c'k e vko'; d fun' k fuEukulj kj g&%

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी
और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

vkllykbu vkonu grg| f0; fyid ocl kbV www.psc.cg.gov.in
ij fu/kfj r frffk; ka e mi y/c/k jg&kA

- (1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. इत्यादी की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता हो, तो उसे प्रविष्टि किए गए मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाइल व /अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाइल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर दी जाएंगी। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लेने के पश्चात अभ्यर्थी मोबाइल व ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवे कि रसीद पर Payment Status के सामने Payment Done मुद्रित हो ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उक्त रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (3). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
- (4). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। निर्धारित भुगतान विकल्प (कैश डिपोजिट) चुनकर, अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में कैश या चेक के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस तक कर सकते हैं। कैश या चेक के माध्यम से शुल्क भुगतान के अगले दिन अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
- (5). vkllykbu vkonu ds fy, vi ykm fd, tkus grg| vH; Fkz ds QkjkxkQ | c'kh fun' k& आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु foKfir u tkj h gkus dli frffk या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद / हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी

चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर / करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल फोटो को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउन्ड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो / Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत / प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

- (6). vkllykbu vkonu ds fy, vi ykm fd, tkus grg| vH; Fkz ds glRk{kj | c'kh fun' k& ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्लाइट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर / करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउन्ड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो / Reflective Document Mat) को नहीं।
- (7). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही—सही प्रविष्टि की जाए।
- (8). vk; lkx }kj k vkllykbu vkonu djus dh i f0; k e> fy; k x; k gfdj vkond }kj k tks tkudkjh vkllykbu vkonu e1 vfdri dli tk j gh gSog i ekf.kr tkudkjh gA vr% vkllykbu vkonu Submit djus ds i v0l vkond vi us vkonu dli l elr i fof'V; kdkls l ko/kkuhi v0d HkyHkkfr i <+, oal e> yA vkond vi us }kj k nh xbz tkudkjh l s l rV gkus ds i pkr- gh vkllykbu vkonu dks Submit cVu fdyd dj tek dj rFkk vkonu 'k/d vnk djA
- (9). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद स्वतः खुलने वाले Page पर आवेदक द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियों, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर के साथ—साथ भुगतान की स्थिति व आवेदन क्रमांक की सूचना मिलेगी। यही ऑनलाइन आवेदन की रसीद होगी। आवेदक उक्त Page पर उपलब्ध Print बटन को विलक्ष कर आवेदन की रसीद का प्रिंटआउट प्राप्त कर अपने पास अवश्य रखें। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आवेदन की रसीद पर Payment Status के सामने Payment Done अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आपके ऑनलाइन आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- (10). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन के दौरान मोबाइल व ई-मेल पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. तथा पासवर्ड के साथ—साथ एडिट पासवर्ड जो कि एडिट हेतु पृथक से मोबाइल व ई-मेल पर प्रदान किया जाएगा का प्रयोग करना होगा। त्रुटि सुधार शुल्क के रूप में अभ्यर्थी को रुपये 15/- (सेवा कर पृथक) का भुगतान करना होगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। vfre frffk ds i pkr-vkllykbu vkonu dli i fof'V e1 fdli h Hkh i dkj ck l sksku ugha fd; k tk, xk rFkk bl l c'k e1 vk; lkx fdli h Hkh vH; konu ij fopkj ugha dj xkA आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि त्रुटि सुधार पश्चात प्राप्त आवेदन की रसीद पर Payment Status के सामने Payment Done अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आवेदक द्वारा किया गया त्रुटि सुधार मान्य नहीं होगा।
- (11). vkond ; g /; ku j [kfd foKfir r in ds vkonu i = e1 gfdli h Hkh =fV dk l qkj p; u ds fdli h Hkh Lrj ij ugha fd; k tk l dxkA vr% vH; Fkz vi uk vkonu vR; r l ko/kkuhi v0d HkjA ; fn fQj Hkj dkbl =fV gkrh gS rks =fV l qkj vof/k e1 okfNr l qkj dj yA
- (12). vkllykbu vkonu@=fV l qkj grg i k/d %& प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रुपये 15/- (सेवा कर पृथक) देय होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर

- आवेदक द्वारा रूपये 15/- (सेवा कर पृथक) का त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। एक आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।
- Viii/ प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क रूपये 15 (सेवा कर पृथक) के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- Vii/ परीक्षा शुल्क, त्रुटि सुधार शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।
- ukv/%
- vkond j l hn en nh xbz tkudkfj; k dks /; kui vld i <+y vkj vi us i kl l tkydj j [ka
 - tkudkfj dh 'k dk r, o R; rk rFkk vkonu if0; k i wkl djusdk ij k mkrjnkf; Ro vkond dk gksxkA
 - fdl h Hkh l kbcj dQs vfkok vU; l Fkk ds ek/; e l s vkonu dj rs l e; vkond vkllykbu vkonu dh ifdl; k vi u fu xjkuh e gh djok, A vkllykbu vkonu ea gpb fdl h Hkh i dkj dh =fV ds fy, vkond l kbcj dQs vfkok vU; l Fkk vfkok vU; kx dks mRrjn; h ugh Bgjk l dxa
 - dkM@u/cfdax@ds k fMi kVtV ds ek/; e l s fdl h Hkh 'k/d ds Hkkrku dh if0; k e ; fn l f/kr cld }jkj fdl h i dkj dk l sk 'k/d fy; k tkrk gsrks ml ds Hkkrku dk nkf; Ro vkond dk gksxkA vkond vkllykbu cfdx dsnkjku fQf.k@gsfdx vfkok vU; l kbcj xfrfok l scpus ds fy, Lo; aftEenkj gksxkA
 - , l s vkonu Lohdkj ugh fd, tk, kx ftUga vkllykbu Hkj us ds ckn fi V yd j NRrhI x<+yk d l ok vU; kx dks Mkd ; k fdl h vU; ek/; e l s Hkstk tk, xka i jhkk 'k/d ds fy, fdl h Hkh i dkj dk MKV Hkh Lohdkj ugh gksxkA , l k djs i j vkonu dk ekU; u djrs gq fujLr dj fn; k tk, xkj vkj ml dh ftEenkjh vkond dh gh ekU tk, xhA
- i vsk i = o | k{kkRdkj gqg cqykok i =%&
- (1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।
- (2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (3) किसी भी अन्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।
- (4) अन्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ ID Proof हेतु मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ज़िडिविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आगार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य वीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (अम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थानीय निकाय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/वीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पटटा, पंजीकृत डिङ्गस/एस.सी. एस.टी. ओ.वी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेशन आदेश, विधवा पेशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अन्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में समिलित होने से वंचित कर सकेंगे।